<u>महत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-05/2022/191/36-03-2022-71(सा०)/2021</u>

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड,
इंदिरा भवन, लखनऊ।

श्रम अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक : 11 फरवरी, 2022

विषय:-उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को कोविड-19 की महामारी की तीसरी लहर की सम्भावना के दृष्टिगत भरण-पोषण भत्ता की शेष किस्त के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के माध्यम से ई-श्रम पोर्टल पर दिनांक 31.10.2021 तक पंजीकृत 80,11,462 असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को कोविड-19 की महामारी की तीसरी लहर की सम्भावना के दृष्टिगत भरण-पोषण भत्ते की माह फरवरी, 2022 की किस्त (रू० 500/-) का भुगतान माह फरवरी, 2022 में तथा माह मार्च, 2022 की किस्त (रू० 500/-) का भुगतान दिनांक 02.03.2022 को किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को कोविड-19 की महामारी की तीसरी लहर की सम्भावना के दृष्टिगत भरण पोषण भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-24/2021/100सी०एस०/36-03-20221-71(सा०)/2021 दिनांक 17.12.2021 में उल्लिखित शर्तों का नियमानुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए भरण-पोषण भत्ते की शेष किस्त के भुगतान के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूध्ध्ेींेंदकमेीण्नचण्हवअण्पद से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या-05/2022/191(1)/36-3-2022 तद्दिनाक</u>

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. श्रम आयुक्त, उ०प्र० कानपुर।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश । (द्वारा श्रमायुक्त, उ०प्र०)
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।(द्वारा श्रमायुक्त, उ०प्र०)
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7. उप श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड, इंदिरा भवन, लखनऊ ।
8. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त/श्रम प्रवर्तन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा श्रमायुक्त, उ०प्र०)
9. श्रम अनुभाग-2/4
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट ीजजचरूध्ध्ेींेंदकमेीण्नचण्हवअण्पद से सत्यापित की जा सकती है ।